Oil Company on an exchange basis. The quantities vary from year to year. During 1964 the Indian Oil Corporation supplied to Burmah Oil Company about 58,000 kilolitres of different products. The terms for supply and exchange are governed by bilateral agreements between the two parties.

(b) and (c). The foreign oil companies viz. Burmah-Shell, Esso and Caltex in India are importing only Lubricating Base Oils from Yugoslavia under the Trade Plan.

(d) Does not arise.

Indiscipline among Students

*297. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the blue-print of the plan to curb indiscipline amongst the students in the country submitted sometime back by two senior officials of the Ministries of Education and Home Affairs has been considered; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No such blue-print of the plan has been submitted.

(b) Does not arise.

विस्थापित व्यक्तियों के लिये उल्हासनगर में बनाये गये मकानों का विक्रय

770. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उल्हासनगर (महाराष्ट्र) में सिन्ध से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये मकानों में से कुछ मकान विस्थापित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य लोगों को दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन मकानों को खरीदने की एक शर्त यह है कि मकान की लागत का चौथाई भाग प्रारम्भ में ही एक किस्त में दिया जाना चाहिये; और

(ग) क्या मासिक किस्तों में अदायगी करने का उपबन्ध किया जा रहा है ताकि हरिजन इन मकानों को खरीद सकें ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). पश्चिमी पाकिस्तान से आये कैर दावेदार विस्थापित व्यक्ति जिनके कब्जे में अलाट की जाने वाली मुआवजे 'पूल' की जायदादें थीं इनके स्थानान्तरण के बारे में उन व्यक्तियों को लागत के 20 प्रतिशत का भुगतान पहली किस्त में तथा शेष भुगतान 7 वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित की शर्त पर 31-10-59 तक इच्छा प्रकट करने के लिये कहा गया था । 1-10-59 से उनसे कोई किराया नहीं लिया जाना था । इच्छा प्रकट करने की ऊपर दी गई तिथि 31-1-61 तक बढ़ा दी गई थी किन्तु अलाटियों को पूरे किराये का भुगतान करना था और किस्तें इस प्रकार गिनी जानी थीं जैसे कि प्रारम्भिक भुगतान 1-11-59 को किया गया हो । वे जायदादें जिनके बारे में ऊपर दी गई इच्छा 31-1-61 तक प्रकट नहीं की गई थी उनको नीलाम/टैंडर द्वारा निपटाया जाना था ।

2. उल्हासनगर में बहुत से हरिजन अलाटियों ने यह इच्छा 31-1-61 के बाद भी प्रकट नहीं की और उन्होंने किराये की छूट की रियायत तथा आसान किस्तों के लिये कहा था । हरिजन अलाटियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके कब्जे में जो जायदादें हैं उनकी खरीद के बारे में उन्हें इच्छा प्रकट करने के लिये फरवरी, 1965 में इस शर्त पर आज्ञा दे दी कि यदि वे लागत के 25 प्रतिशत का प्रारम्भिक भुगतान तथा बकाया का 3 बराबर वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित भुगतान कर देते हैं । उनसे पूरे किराये के बकाया तथा क्वार्टर्स